न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

(14)

मिसल नम्बर – 2003/00021

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. सरोज देवी धर्मपत्नि जगदीश नारायण नारानी साकिन लाडपुरा कोटा

निर्णय दिनांक - 30/03/2026

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि जमाबंदी संवत् 2041 से 2044 के अनुसार ग्राम नान्ता में खसरा नम्बर 1070 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा सिवायचक आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर के नए खसरा नम्बर 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717 व 1720 कुल रकबा 1.23 है0 बनाये गये तथा उक्त आराजी अप्रार्थी के खाते दर्ज कर दी गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717 व 1720 कुल रकबा 1.23 है0 भूमि वाके ग्राम नान्ता को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2055 से 2058 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

अप्राथी द्वारा उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की यह भूमि सहायक जिलाधिश कोटा के मुकदमा न0 46/79 श्रीमती सरोज देवी बनाम सरकार में दिये गये निर्णय व डिक्री दिनाक 07.06.1980 के आधार पर प्रतिपक्षी के नाम दर्ज की गई है। सहायक जिलाधीश के निर्णय दिनांक 07.06.1980 के विरूद्व न्यायालय जिला कलक्टर कोटा के यहा सरकार द्वारा रेफरेन्स की कार्यवाही करने पर मुकदमा सख्या 34/82 में न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा निर्णय दिनांक 31.01.1983 से न्यायालय सहायक जिलाधीश कोटा के निर्णय दिनांक 07.06.1980 को वैध्य मानते हुए रेफरेन्स की कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।

बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

16

ने पत्रावली व सलंग्न दस्तावेजो का आद्योपांत अध्ययन किया तथा बहस पर गंभीरता से न किया । पत्रावली में सलंग्न न्यायालय निर्णय 07.06.1980 तथा 31.01.1983 से अप्रार्थी के कथन प्रमाणित होते है। उक्त निर्णयो से प्रमाणित हो जाता है कि हस्तगत आरजी न्यायालय सहायक जिलाधीश कोटा के निर्णय दिनांक 07.06.1980 से अप्रार्थी के खाते दर्ज हुई थी ।

उक्त परिस्थिती में हम तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा